सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

अग्रहायण 09, बुधवार, शाके 1944-नवम्बर 30, 2022

Agrahayana 09, Wednesday , Saka 1944- November 30, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 30, 2022

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनाव्र्व्यवस्थ्पना में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिनियम २०१३ की धरा ९३ के अंतर्गत अबाप्त भूमि को अवाप्ति से मुक्त कराने बाबत

संख्या :-चुकी राजस्थान सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की सार्वजानिक प्रयोजन के लिये अबाप्त की गई भूमि विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत सड़क अलवर राजगढ़ महवा करौली मन्द्रिअल में करौली बाईपास के लिए श्रीमान मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के F-2 (Gen)WB/ SH/Sec-II/89/D-174/S Dated 06.05.1989 के द्वारा विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत राशी रुपये १५३७-०० लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई इसके पश्चात अधिशाशी अभियंता लोक निर्माण विभाग उपखंड तृतीय अलवर द्वारा भूमि अबाप्ति की कर्यबाही करने के लिये भूमि अवाप्ति अधिकारी लोक निर्माण विभाग सवाई माधोपुर को लिखा गया है भूमि अवाप्ति अधिकारी लोक निर्माण विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति की कायर्वही प्रारम्भ की गई जिसके अंतर्गत F-2 (76)PW/AS/95 Dated 27.10.95 से उप सचिव (कार्य) लोक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा अधिसूचना की स्वीकृत की गई जिसका प्रकाशन राजस्थान राज पत्र में दिनांक २७.10-९५ को हुआ इसके पश्चात धरा 6-१७ के अंतर्गत उदघोसना की स्वीकृति की गई जिसका उप सचिव (कार्य) लोक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक F-2 (76)PW/AS/95 Dated 22.01.96 द्वारा स्वीकृत की गई जिसका राजस्थान राज पत्र में दिनांक ०३.०१.९६ भाग 1बी के पृष्ठ संख्या ७२६ पर प्रकाशित हुई थी उक्त बाई पास का फाइनल अवार्ड क्रमांक 5९७-६०२ दिनांक ०२-०१-१९९८ को जारी किया गया जिसका मुआवजा राशी का भुगतान अभी तक किसी भी हितकारी व्यक्ति को नहीं हुआ है क्योकि उक्त बाई पास का विश्व बैंक योजना अंतर्गत निर्माण ही नहीं हुआ है किन्तु अवार्ड जारी हो जाने के कारण अवाप्त भूमि के खसरा नंबर राजस्व विभाग ने लोक निर्माण विभाग के नामे बर्ज कर दिए गए अत नए अधिनियम की धारा के अंतर्गत उक्त अवाप्त भूमि स्वत ही अवाप्ति निरस्त हो चुकी है अधिनियम २०१३ की धारा २४ कपितय मामलो में १८९४ के अधिनियम संख्या 1 के अधीन भूमि अर्जन प्रकिरिया का व्यपगत समझा जाना २ उपधारा 1 में अंतविस्ट किसी बात के होते हुए भी भूमि अर्जन अधिनियम १८०४ के अधीन आरम्भ की गई भूमि अर्जन कारवाही के किसी मामले में जहा उक्त धरा ११ के अधीन अधिनिर्णय इस अधिनियम के प्रारम्भ के ५ वर्ष या अधिक पूर्व प्रारम्भ किया गया है किन्तु भूमि का भोतिक कब्जा नहीं लिया गया है या प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया है वहा उक्त कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जायगा की वह व्यपगत हो गई है और समुचित सरकार यदि वह एसा चुनाव

करती है इस अधिनियम के उपबंधो के अनुसार ऐसे भूमि अर्जन की कार्यवाहिया नए सिरे से आरम्भ करगी

करौली बाई पास का न तो निर्माण किया गया है और न ही हितधारिओ को मुआबजा दिया गया है जिसको ५ वर्ष से भी अधिक समय हो चूका है जिस पर अधिनियम धरा २४ के अनुसार अवाप्ति की कार्यवाही स्वत ही निरस्त हो गई है इसलिए राजस्व विभाग में दर्ज गैर मुमकिन सड़क अवार्ड के अनुसार पुन विभाग के नाम से नामान्तकरन हटाकर हितधारिओ के नाम करने की कार्यवाही की जायगी तथा सलंगन सूची अनुसार अवाप्त खसरा नम्बरों को अवाप्ति से मुक्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी

सलंगन - सूची

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

अलवर राजगढ़ महवा करौली मन्द्रिअल में करौली बाईपास के लिए अवाप्त किये गए खसरा नम्बेरो को अवाप्ति से मुक्त किये जाने की सूचि

क़स्बा करौली		तहसील करौली			जिला करौली
क्रम संख्या	खसरा नंबर	अवाप्त रकवा बीघा विस्वा	क्रम संख्या	खसरा नंबर	अवाप्त रकवा बीघा विस्वा
1	517	0.03	24	417	0.01
2	518	0.1	25	486	0.15
3	492	0.18	26	5351	1.07
4	519	0.02	27	5360	0.06
5	522	0.09	28	5325	0.14
6	523	0.15	29	5326	0.06
7	524	0.01	30	5327	0.08
8	526	0.06	31	5352	0.08
9	527	0.06	32	5353	1.04
10	528	0.18	33	5354	0.1
11	529	0.01	34	5324	0.04
12	458	2.05	35	5330	0.01
13	459	2	36	5333	0.01
14	460	0.11	37	5339	1.11
15	461	0.04	38	495/1	0.01
16	376	0.15	39	525	0.05

17	484	0.14	40	5355	0.02
18	488	0.17	41	419	0.02
19	489	0.12	42	5356	0.11
20	490	0.16	43	5357	1.01
21	469	0.18	44	5358	0.02
22	377	1	45	418	1.18
23	382	0.16	46	A	0.11

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।